नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2012 से 03/2014

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–(ख) IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर निम्न प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री मनोज चडडा	01.04.2012 से 31.3.2014

(ii) कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती राखी कौशल	01.04.2012 से 31.3.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

अवधि 4/2012 से 3/2014 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाखों में
1	राशि को बैंक द्वारा नगर परिषद खाते में जमा न करने बारे।	पैरा 5 (क)	2.14
2	अनुदान राशि का सम्भावित दुरूपयोग	पैरा 6.2	316.93
3	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली न किया जाना	पैरा 6.3	2.50

4	अनुदान राशि का अनियमित व्यय	पैरा 6.4	39.90
5	मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करने बारे।	पैरा 9	2.70
6	गृह कर की वसूली न करना	पैरा 10	66.81
7	भवनों का गृह कर निर्धारण नियमानुसार न करने के कारण राशि की हानि	पैरा 10.1	3.62
8	नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करने के परिणामस्वरूप राशि की हानि	पैरा 10.2	223.78
9	संशोधित गृहकर की मांग न करने के परिणामस्वरूप आय की हानि	पैरा 10.3	16.10
10	दुकानों के किराये की वसूली न करने बारे	पैरा 11	64.69
11	अनुबन्ध की शता के अनुसार किराये का संशोधन न करने के परिणामस्वरूप राशि की हानि	पैरा 11.1	1.42
12	दिनाँक 31.3.14 तक जलकर वसूली हेतु शेष	पैरा 12	20.01
13	सफाई कर की वसूली शेष	पैरा 13	23.03
14	पट्टा राशि वसूल न करने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष हानि	पैरा 14	115.70
15	मानदेय राशि का अधिक भुगतान	पैरा 15.1	1.22
16	कम्यूनिटी हॉल के निर्माण कार्य में अनियमित व्यय	पैरा 16	1.55
17	विभागीय शुल्क वसूल न करने बारे	पैरा 18	0.17
18	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना विचलन राशि का भुगतान	पैरा 23	5.73
19	फर्नीचर क्रय पर अनावश्यक व्यय करना	पैरा 25	3.26
20	डम्पर प्लेसर की खरीद के कारण निष्फल व्यय	पैरा 26.1	5.82

2 गत अंकेक्षण प्रतिवदेनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवदेनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इस विभाग को अवगत करवाएं ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

3 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद डलहौजी के लेखों अवधि 4/2012 से 3/2014 का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक, ले0प0) व श्री संदीप कमल (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री पंकज भराडिया, (क0ले0प0) द्वारा दिनांक 23.2.2015 से 27.3. 2015 तक डलहौजी में किया गया। आय व व्यय के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मायों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	03/2013	11/2012
2013–14	04/2013	09/2013

अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवम अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं है। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

4 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 4/12 से 3/14 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹57400/– आंका गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 317 दिनांक 26.03.15 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था इस राशि का एस0बी0आई0 डलहौजी के बैंक ड्राफ्ट संख्या 812589 दिनांक 30.03.15 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया गया।

5 वितीय स्थितिः–

नगर परिषद डलहौजी के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

वर्ष	विवरण	राशि
2013–14	प्रारम्भिक शेष	5607495.45
	आय	92023463.88
	कुल राशि	**97630959.33**
	व्यय	83955179.00
	अन्तिम शेष	**13675780.33**
2014–15	प्रारम्भिक शेष	13675780.33
	आय	68968353.45
	कुल राशि	**82644133.78**
	व्यय	74798180.00
	अन्तिम शेष	**7845953.78**

(1) Bank Reconciliation Statement on 31.03.14 (General Cash Book)

Balance as per Cash Book		₹947674.99
Balance as per Pass Book		789878.99
Detail of Bank Accounts		
SBI A/C No 11321778123	₹581192.00	
H.P. State Co-Operative Bank		
A/C No. 18210105871	₹150679.00	
P.N.B. A/C No. 10973	₹28386.10	
P.N.B. A/C No. 7985	₹29621.89	
	Difference	₹157796.00

Particulars	Dr.	Cr.
Balance as per Cash Book	947674.99	
Cheque issued not presented for payment		
Cheque No. 171124 Dt. 18.06.12 ₹2640		
Cheque No. 359113 Dt. 17.08.13 ₹13650		
Cheque No. 770501 Dt. 18.02.14 ₹1050	58631	
Cheque No. 770527 Dt. 12.03.14 ₹7560		
Cheque No. 770535 Dt. 31.03.14 ₹1131		
Cheque No. 770536 Dt. 31.03.14 ₹600		

Cheque No. 770537 Dt. 31.03.14 ₹32000

Income deposited in bank but not credited

Challan No.	Date	Amount		
327	31.3.2006	2064		
71	17.5.2007	9554		
247	15.11.2012	710		
209	22.10.2013	12134		
323	31.3.2014	25222		
325	31.3.2014	9327		64431
326	31.3.2014	4717		
1	2.4.2014 (Deposited on 31.3.2014)	703		
Income deposited vide letter No. 1543 dated 27.12.2013 in to Bank but not credited by the Bank.				150000
Bank Charges not taken in cash book				1996
Balance as per pass book				789878.99
		Total	**1006305.99**	**1006305.99**

(2) Bank Reconciliation Statement on 31.03.14 (Development A/C Cash Book)

Balance as per Cash Book		5520113.84
Balance as per Pass Book		5993247.84
Detail of Bank Accounts		
SBI A/C No 11321778587	₹5993247.84	
	Difference	₹473134.04

Particulars	**Dr.**	**Cr.**
Balance as per Cash Book	5520113.84	
Cheque issued not presented for payment		
Cheque No. 430884 Dt. 21.07.07 ₹2906		
Cheque No.430890 Dt. 07.08.08 ₹23415		
Cheque No. 430891 Dt. 21.08.08 ₹85500	142843.00	
Cheque No. 75202 Dt. 29.03.14 ₹31022		

Wrong expenditure booked in cash book on 17.10.12	328877.00	
Excess Deposit given by the bank	2869.00	
Bank Charges not taken in cash book		455.00
Excess paid to Sh. Kishori Lal (Cheque No. 924588 dated 26.9.13 ₹171142 issued but bank has paid ₹172142)		1000.00
Balance as per pass book		5993247.84
Total	**5994702.84**	**5994702.84**

(3) Bank Reconciliation Statement on 31.03.14 (BRGF A/C Cash Book)

Balance as per Cash Book		₹1377120
Balance as per Pass Book		₹1377120
Detail of Bank Accounts		
SBI A/C No 30649599728	₹1377120.00	
	Difference	Nil

(4) Bank Reconciliation Statement on 31.03.14 (SJSRY A/C Cash Book)

Balance as per Cash Book		₹1044.95
Balance as per Pass Book		₹1044.95
Detail of Bank Accounts		
SBI A/C No 11321777639	₹1044.95	
	Difference	Nil

(क) ₹2.14 लाख बैंक द्वारा नगर परिषद के खाते में जमा न करने बारेः—

परिषद के General Account को बैंक समाधान विवरणी की जांच करने पर पाया कि विभिन्न चालानों द्वारा राशि ₹214431/— को बैंक में जमा करवाया गया लेकिन लम्बी अवधि के पश्चात भी बैंक द्वारा इन राशियां का नगर परिषद के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया। अतः यह प्रकरण बैंक के साथ प्राथमिकता से उठाया जाए व उक्त राशि को शीघ्र नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹128111/—के चैक निर्गमित करने बारेः—

परिषद के General Account एवं Development Account की बैंक समाधान विवरणी की जांच के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा लगभग 6 वर्ष पूर्व विभिन्न भुगतानों हेतु चैक जारी किए गये थे लेकिन अभी तक यह चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत

नहीं किये गये जबकि चैक की बैधता निर्गमन से 3 माह तक ही होती है। अतः यह सभी चैक कालातीत हो चुके है। बैंकों से इन चैकों के भुगतानों की पुष्टि के पश्चात ₹128111/– रोकड़ बही के आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो चैकों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	चैक संख्या	दिनांक	राशि	खाता
1	171124	18.6.12	2640	General Cash Book
2	359113	17.8.13	13650	-do-
3	430884	21.7.08	2906	Development Cash Book
4	430890	07.08.08	23415	-do-
5	430891	21.08.08	85500	-do-

(ग) ₹1000/– का बैंक द्वारा अधिक भुगतानः–

विकास कार्यों की बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया कि श्री किशोरी लाल (संविदाकार) को चैक संख्या 924588 दिनांक 26.9.13 द्वारा ₹171142/– के विरूद्ध बैंक द्वारा ₹172142/– का भुगतान कर दिया गया जिससे नगर परिषद का ₹1000/– की हानि हुई। अतः इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

6 अनुदानः–

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2014 तक परिषद द्वारा प्राप्त व व्यय की गई अनुदान राशियों तथा अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

	वर्ष 2012–13	**वर्ष 2013–14**
प्रारम्भिक शेष	13482950	25059105
आय	34554613	21598532
कुल आय	**48037563**	**46657637**
व्यय	22978458	9444131
अन्तिम शेष	**25059105**	**37213506**

6.1 अनुदानों की उपरोक्त वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि नगर परिषद के पास दिनांक 31.03.14 को विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु ₹37213506/– की राशि उपलब्ध थी। अतः उपरोक्त लम्बित अनुदानों की राशि को शीघ्र उनके उद्देश्यों के अनुसार व्यय करके सम्बन्धित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

6.2 अनुदान की राशि ₹316.93 लाख का सम्भावित दुरूपयोगः–

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 क अनुदान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि दिनांक 31.03.2014 तक ₹37213506/– की अनुदान की राशि नगर परिषद डलहौजी के पास उपयोग हेतु शेष थी जबकि विकास कार्यों की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.14 को मात्र ₹5520114/– की राशि ही उपलब्ध थी अर्थात नगर परिषद द्वारा ₹31693392/– (₹37213506–5520114) की राशि को किन्हीं अन्य अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया ह। अधियाचना संख्या 34 दिनांक 16.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त अनियमितता के बारे अवगत करवाया गया प्रतिउत्तर व पत्र संख्या 234 दिनांक 27.03.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि नगर परिषद द्वारा समय–समय पर अनुदान की राशि का प्रयोग नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन एवं पैन्शनकार को पैन्शन के भुगतान हेतु किया गया था जिसकी क्षतिपूर्ति शीघ्र कर ली जाएगी।

अतः अनुदान राशियों का प्रयोग स्वीकृत कार्य पर न करके अन्य कार्यों पर करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास के ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके तथा नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब इस राशि की प्रतिपूर्ति कर अनुदान राशियों के उद्देश्यों के अनुसार व्यय किया जाये ताकि अनुदान राशियों के सदुपयोग के साथ–2 नगर का विकास भी सम्भव हो सके।

6.3 प्राप्त अनुदान राशि से अधक व्यय की गई राशि ₹2.50 लाख की वसूली न करनाः–

अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि जिला योजना सीमित, चम्बा द्वारा BRGF अनुदान सहायता के अन्तर्गत नगर परिषद के क्षेत्र की सड़कों को पक्का करन हेतु पत्र संख्या 983–85 दिनांक 28.08.13 द्वारा ₹10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रथम किश्त व दूसरी किश्त की राशि क्रमशः ₹5.00 लाख तथा ₹2.50 लाख पत्र संख्या 1729–31 दिनांक 13.12.13 द्वारा नगर परिषद को स्वीकृत की गई थी। कार्य रजिस्टर (WRP-38) की

जाँच के दौरान पाया कि उक्त कार्य के लिए नगर परिषद द्वारा ₹10 लाख की राशि खर्च की गई है जबकि प्राप्त राशि ₹7.50 लाख थी। इस प्रकार ₹2.50 लाख की राशि का अधिक व्यय किया गया था जो सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करना शेष था अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35 दिनांक 17.3.12 के प्रतिउत्तर में संख्या 235/DMC दिनांक 27.3.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ₹2.50 लाख की शेष राशि को शीघ्र प्राप्त करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा दिया जाएगा। अतः अधिक व्यय की गई राशि ₹2.50 लाख को शीघ्र प्राप्त करने हेतु उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से परिहार किया जाए। राशि की वसूली करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

6.4 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान अनुदान राशि से ₹39.90 लाख का अनियमित व्ययः–

वाउचर संख्या 3 माह 09/2013 के अन्तर्गत श्री किशोरी लाल, ठेकेदार का अनुदान राशि निधि से ओक बैली क्लब के पास सीमेन्ट कंकरीट की दीवार लगाने हेतु प्रथम एवं अन्तिम बिल की राशि ₹137749/– का भुगतान क्रमशः ₹29366/– का BRGF की अनुदान राशि एवं शेष ₹108383/– विकास कार्यों की रोकड़ बही से दिनांक 04.09.13 को किया गया जबकि उक्त कार्य के लिए कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था अर्थात ₹137749/– का अनियमित भुगतान किया गया था जोकि एक गम्भीर आपत्ति है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36 दिनांक 17.3.15 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 237 दिनांक 27.3.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रस्ताव संख्या 127 (2) दिनांक 16.01.13 द्वारा इस राशि का भुगतान अनुदानों से किया गया था जोकि उचित नहीं था क्योंकि अनुदान राशि का प्रयोग विहीत उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु ही किया जा सकता है। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में नगर परिषद द्वारा ₹3990030/– का इसी प्रकार का अनियमित व्यय अनुदान राशियों से किया गया था इसका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "ग (i)"** में दिया गया है जिस बारे पूर्ण स्थिति स्पष्ट करें। नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि शीघ्र इसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित अनुदान राशि में जमा करना सुनिश्चित करें अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

7 स्थापना पर (Establishment) ₹207.39 लाख का अनियमित/अधिक व्ययः–

नगर पालिका अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53 (1) (सी) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि खर्च की जा सकती है जबकि जाँच में पाया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थापना पर राशि ₹20738990/– का अनियमित रूप में अधिक व्यय किया गया था। इसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Year	Total Expenditure	Required 1/3rd expenditure on establishment	Actual expenditure on establishment	Excess expenditure on establishment
2012-13	23627750	7875917	19970239	12094322
2013-14	35010468	11670156	20314824	8644668
		कुल अधिक व्यय राशि		**20738990**

अतः स्थापना पर नियमों में निर्धारित राशि से अधिक राशि ₹20738990/– व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

7.1 ₹9318/– का कर्मचारियों को अधिक भुगतानः–

वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B (7)-59/2010 दिनांक 09.08.12 के अनुसार नई सुनिश्चित जीवन प्रगतिशील योजना 4–9–14 के अन्तर्गत कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिनांक 09.08.12 से देय था जबकि विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओ की जाँच में पाया कि इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिनांक 01.08.12 से दिया गया था अर्थात दिनांक 01.08.12 से दिनांक 08.08.12 तक निम्नलिखित कर्मचारियों को ₹9318/– का अधिक भुगतान किया गया था।

Excess payment on account of payment of 4-9-14 benefit w.e.f 01.08.12 instead of 09.08.12

Sr. No.	Name	Designation	Drawn			Due			
			Basic Pay	D.A.	Total	Basic Pay	D.A.	Total	Excess Paid for 8 days
1	Sh. Dharam Chand	Beldar	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488
2	Sh. Tilak Raj	Beldar	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488

	S/O Sh. Mangat Ram								
3	Sh. Kunj Lal	Beldar	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488
4	Sh. Dev Raj	Beldar	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488
5	Sh. Pritam Chand	Beldar	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488
6	Sh. Ashok Kumar	Beldar	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
7	Sh. Pawan Kumar	Beldar	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
8	Sh. Desh Raj	Beldar	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
9	Sh. Ramesh Kumar	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
10	Sh. Tilak Raj S/O Sh. Ratan Chand	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
11	Sh. Kanshi Ram	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
12	Sh. Cahin Lal	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
13	Sh. Tilak Raj S/O Kesho Ram	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
14	Sh. Chaman Lal	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
15	Sh. Girdhari Lal	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
16	Sh. Mulkh Raj	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
17	Sh. Madan Lal S/O Sh. Laxman	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
18	Sh. Ashwani Kumar	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138

19	Sh. Utam Chand	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
20	Sh. Babu Ram	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
21	Sh. Promila Devi	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
22	Sh. Manoj Kumar	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
23	Sh. Galo Ram	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
24	Sh. Kaku Ram	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
25	Sh. Tilak Raj S/O Sh. Puran Chand	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
26	Sh. Sunil Kumar	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
27	Sh. Madan Lal S/O Sh. Dumanu	Beldar	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
28	Smt. Roma Devi	Safai Karmchari	9930	7150	17080	9390	6761	16151	240
29	Smt. Sunita Devi	Safai Karmchari	9930	7150	17080	9390	6761	16151	240
30	Smt. Asha Devi W/O Sh. Ratan	Safai Karmchari	8950	6444	15394	8090	5825	13915	382
31	Smt. Asha Devi W/O Sh. Wali	Safai Karmchari	8950	6444	15394	8090	5825	13915	382
32	Sh. Subhash Chand	Safai Karmchari	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488
33	Sh. Rajesh Kumar	Safai Karmchari	10770	7754	18524	9670	6962	16632	488

34	Sh. Hem Raj	Safai Karmchari	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
35	Sh. Subir Kumar	Safai Karmchari	7310	5263	12573	7000	5040	12040	138
36	Sh. Baroo Ram	Safai Karmchari	13180	9490	22670	12180	8770	20950	444
37	Sh. Karam Chand	Mason	9130	6574	15704	8810	6343	15153	142
38	Sh. Rajender Kumar	Tax Attendent	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
39	Sh. Jaram Singh	Tax Attendent	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
40	Sh. Sunil Kumar	Tax Attendent	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
41	Sh. Madan Lal	Chowkidar	7310	5263	12573	7210	5191	12401	44
42	Sh. Atul Mahajan	Sanitary Inspec	23680	17050	40730	21730	15646	37376	866
								Total	**9318**

उपरोक्त वर्णित अधिक भुगतान से सम्बन्धित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 302 दिनांक 04.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 236 दिनाक 27.03.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपरोक्त अधिक भुगतान की वूसलियाँ सम्बन्धित कर्मचारियों के मार्च 2015 के वेतन से कर ली जाएगी। अतः उपरोक्त वसूलियाँ करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

7.2 श्री रत्न चन्द (कनिष्ठ सहायक) को ₹6978/– का अधिक भुगतानः–

वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B (7)-1/98 दिनांक 31.09.09 के पैरा–4 क अनुसार "It was decided that the cases of the officers/officials of the state Government due to grant of benefits under the ACP"s or the cases of officers who were eligible for placement in the next higher pay scale under pre revised pay scales, may not be considered after 26.08.09." जबकि जाँच में पाया कि रत्न चन्द, कनिष्ठ सहायक को

दिनांक 01.01.2010 को 16 वर्ष पूर्ण होने पर एक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया था जोकि नियमों के अनुसार देय नहीं था। इस प्रकार श्री रत्न चन्द, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 31.10.2010 तक ₹6978/– का अधिक भुगतान किया गया था। इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Period	B. Pay Drawn (₹)	B. Pay Due (₹)	D.A. (%age)	Total Month	Excess Payment (₹)
01.01.2010 to 31.05.10	19290	18860	35%	5	2902
06/10	19430	18860	35%	1	770
01.07.10 to 31.10.10	19430	18860	45%	4	3306
			कुल अधिक भुगतान		**6978**

उपरोक्त अनियमितता की सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42 दिनांक 23.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 240 दिनांक 27.03.15 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपरोक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के मार्च 2015 के वेतन से ली जाएगी। अतः उपरोक्त वर्णित वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

7.3 गृह किराए की कम कटौती करने के फलस्वरूप नगर परिषद को ₹9576/– की हानिः–

पत्र संख्या GAD/D-3(C) 14-2/97/Shimla-2 दिनांक 21.9.10 के अनुसार Type-II के सरकारी आवास के लिए गृह किराये की कटौती ₹228/– प्रतिमाह निर्धारित की गई थी जबकि नगर परिषद डलहौजी में कार्यकारी अधिकारी श्रीमती राखी कौशल एवं श्री कर्मचन्द लिपिक के वेतन से गृह किराये के रूप में ₹114/– प्रतिमाह की दर से कटौती की जा रही है। अतः इस प्रकार दिनांक 01.10.10 से 31.03.14 तक प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से ₹4788/– की कम कटौती की गई थी जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को ₹9576/– की हानि हुई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के साथ–2 निर्धारित दरों से कटौती करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवायें।

7.4 दिनांक 01.07.12 व 01.01.13 से स्वीकृत महंगाई भत्ते की बकाया राशि ₹5.09 लाख का नकद भुगतानः—

(क) वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (C) B(7)-2/2006 दिनांक 01.10.2012 के अनुसार मंहगाई भत्ते की किश्त जोकि दिनांक 01.07.12 से 7**%** की दर से देय थी, का भुगतान दिनांक 01.10.2012 से नकद किया जाना था एवं दिनांक 01.07.12 से 30.09.12 तक की महंगाई भत्ते की राशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जानी अपेक्षित थी। जाँच में पाया कि वाउचर संख्या 11 से 19 माह 11/2012 में ₹137251/— का महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 01.07.12 से 30.09.12 तक विभिन्न कर्मचारियों को नगद भुगतान किया गया था, जोकि प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो की अवहेलना थी जिसका औचित्य स्पष्ट करें।

इसी प्रकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (C) B(7)-2/2006 दिनांक 20.08.13 के अनुसार महंगाई भत्ते की किस्त जोकि दिनांक 01.01.13 स 8**%** की दर से देय थी, का भुगतान दिनांक 01.08.13 से नकद एवं दिनांक 01.01.13 से 31.07.13 तक सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना आपेक्षित था। जबकि जाँच में पाया कि वाउचर संख्या 10 से 18 माह 09/2013 में ₹371292/— का महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 01.01.13 से 31.07.13 तक विभिन्न कर्मचारियों को नकद भुगतान किया गया था। अतः सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में सरकार के निर्देशों के अनुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों को नगद भुगतान की गई राशि ₹508543/— की वसूली करके सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा करवाए।

8 राशि ₹0.59 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करनाः—

विभिन्न उद्देश्यों हेतु नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.14 तक कर्मचारियों को स्वीकृत अग्रिमों की राशि ₹59190/— समायोजन हेतु शेष थी जिसका उल्लेख **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है। अग्रिम राशियों का समायोजन वित्त वर्ष के दौरान किया जाना चाहिए था। अतः कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाए व सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत करें।

9 मोबाईल कम्पनियों से स्थापना व नवीनीकरण शु्ल्क की राशि ₹2.70 लाख की वसूली दिनांक 31.3.14 तक शेषः–

मोबाईल टावर के शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹270000/– दिनांक 31.3.14 तक वसूली योग्य शेष थी, जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है। इस राशि को वसूल करने के लिए नगर परिषद द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कम्पनियों से नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। बकाया राशि का विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मोबाईल कम्पनी का नाम	वसूली योग्य राशि
1	Relience	65000
2	Tata	30000
3	B.S.N.L.	60000
4	Airtel	75000
5	Aircel	40000
	कुल राशि	**270000**

10 गृह करः–

गृहकर की बकाया राशि ₹66.81 लाख की वसूली न करनाः–

गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.14 तक परिषद के खातों में गृहकर की राशि ₹6680965/– वसूली योग्य शेष थी। जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट "च"** में दिया गाय है। गृहकर की देय राशि की समय पर वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः परिषद नियमों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई करने के उपरान्त राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 गृह कर की गणना नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप राशि ₹3.62 लाख की आय की हानिः—

जाँच में पाया कि नगर परिषद द्वारा भवनों के गृहकर की गणना नगर पालिका अधिनियम 1994 में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को प्रति वर्ष लाखों रूपये की हानि हो रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 310 दिनांक 18.03.15 द्वारा किराये के भवनों में चलित बैंकों के किराये के समझौते उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था जिनकी जाँच के दारान पाया कि कर का निर्धारण अपेक्षित किराये से काफी कम करके गृह मालिकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को 31.3.14 तक ₹361924/— की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

Name of Building	**Name of Bank**	**Amount of monthly rent as per agreement**	**House tax to be recovered (P.A) (Annual Rent 10% x 12.5%)**	**Actual House Tax Recovered (P.A)**	**Difference**	**Months**	**Loss up to 31.03.14**
Harly Cottage Ward No. 5	PNB, Rented out from 01.05.10	20331	27447	6188	21259	01.05.10 to 31.03.14 (47 Months)	83264
Mount View Complex, Ward No. 9	SBI, Rented out from 05/2013	121544	150410	Nil	150410	01.05.13 to 31.03.14 (11 Months)	150410
Avondale building No. 8	HDFC Bank rented out from 04/2011	39000 P.M.	52650	9900	42750	01.04.11 to 31.03.14 (36 Months)	128250
				Total Loss up to 31.03.14			**361924**

उपरोक्त अनियमितता की सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 319 दिनांक 26.3.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद क्षेत्र में स्थित

समस्त भवनों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त वर्णित वसूली योग्य राशि ₹361924/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10.2 नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप ₹223.78 लाख की हानिः–

जाँच में पाया कि नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में कुल 74 होटल, पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हैं इन होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को प्रतिवर्ष ₹11188811/– की हानि हो रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 310 दिनांक 18.03.15 एवं 318 दिनांक 26.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक होटलों के गृहकर निर्धारण सम्बन्धित नियमों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः अन्य नगर परिषदों में होटलों के गृहकर निर्धारण सम्बन्धित गणना के आधार पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित होटलो की किराये दरों पर 45 दिन की Occupancy के आधार पर गृहकर का निर्धारण करने पर पाया कि वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में ₹22377622/– की हानि हुई थी। इसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। अतः समस्त होटलो के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार होटलों के संचालन की अवधि से करके एवं समस्त बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10.3 नगर परिषद द्वारा गृहकर के संशोधित निर्धारण के अनुसार माँग न करने के कारण वार्ड नं0 1 से वर्ष 2013–14 के दौरान गृह राशि ₹16.10 लाख की आय की हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2013–14 म वार्ड नं0 1 (बकरोटा वार्ड) के गृहकर निर्धारण का संशोधन नगर परिषद द्वारा किया गया था लेकिन गृहकर की माँग संशाधित गहकर के अनुसार नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013–14 में गृहकर की कम माँग करने के कारण वार्ड नं0 1 में ₹1640605/– की हानि हुई थी। इस राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316 दिनांक 25.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से संशोधित गृहकर की राशि की मांग न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई भी कारवाई अमल

में नहीं लाई गई। अतः गृहकर का संशोधन करने के बावजूद संशोधित गृहकर की मांग न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए। संशोधित गृहकर की राशि वसूलना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

11 दिनांक 31.3.14 तक किराये राशि ₹64.690 लाख वसूली हेतु शेषः–

दिनांक 31.03.14 तक दुकानों के किराये की राशि ₹6468655/– वसूली हेतु शेष थी इस राशि का पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "झ"** में दिया गया है जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच0ए0 (7)–1/87/9237/9284 दिनांक 20.6.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिनिश्चत करने के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कार्रवाई की जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.1 अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप ₹1.42 लाख की हानिः–

नगर परिषद डलहौजी द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में 223 दुकानों का निर्माण करके विभिन्न आबंटियों को किराये पर आंबटित की गई थी। अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये अनुबन्ध पत्रों की जाँच में पाया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात किराये की राशि में 15**%** की दर से वृद्धि की जानी अपेक्षित थी, जोकि नियमानुसार नहीं बढ़ाई गई थी जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में ₹142464/– की हानि हुई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 315 दिनांक 24.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त अनियमितता से अवगत करवाया गया लेकिन अंकेक्षण के समापन तक राशि की वसूली हेतु कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कम वसूली का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "ञ"** में दिया गया है। अतः अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये की राशि में संशोधन न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दुकानों के किराये में 15**%** की दर से वृद्धि करके उपरोक्त वर्णित राशि सहित समस्त बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

12 जलकर की बकाया राशि ₹20.01 लाख वसूली हेतु शेषः–

₹2001100/– जल कर के रूप में दिनांक 31.03.14 तक राशि वसूली हेतु शेष थी इसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है जोकि एक गम्भीर वित्तीय मामला है। अतः इसे शीघ्र वसूल करना सुनिश्चित करें।

13 सफाई कर की बकाया राशि ₹23.03 लाख वसूली योग्य शेषः–

दिनांक 31.03.14 तक ₹2303466/– सफाई कर के रूप में बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ठ"** म दिया गया है। अतः उक्त राशि को शीघ्र वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 पट्टा राशि की वसूली न करने के फलस्वरूप ₹115.70 लाख की प्रतिवर्ष हानिः–

वित्त आयुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Revenue (D) (F) -0/84 dated 03.12.1984 जो कार्यकारी अधिकारी/उपमण्डल अधिकारी को उपायुक्त चम्बा के पृष्ठांकन संख्या CBA-III-2/73/2001 दिनांक 04.11.2003 द्वारा प्रेषित किया था, के निर्देशों के अनुसार पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि के चालू बाजार मूल्य पर 18**%** वार्षिक की दर से पट्टा राशि वसूलना अपेक्षित था।

जाँच में पाया कि नगर परिषद डलहौजी द्वारा 54 मामलों में सरकारी भूमि विभिन्न ऐजेन्सियों/को 1931 से पट्टे पर दी गई थी लेकिन उपरोक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार 18**%** वार्षिक दर से पट्टा राशि की वसूली नहीं की गई थी। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों एवं पट्टा भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार नगर परिषद को प्रतिवर्ष पट्टा राशि न वसूलने के कारण ₹11569948/– की वार्षिक हानी हो रही है। इसकी विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड"** में दिया गया है। अतः उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार पट्टा राशि की वसूली न करने का आचित्य स्पष्ट करें तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

15 अधिवक्ता श्री आदर्श कुमार, वशिष्ठ को मानदेय की राशि ₹1.22 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री आदर्श कुमार वशिष्ठ, अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय में परिषद की तरफ से विभिन्न केसों की पैरवी करने हेतु ₹10000/– प्रति केस की दर पर मनोदय का भुगतान किया गया जबकि प्रस्ताव संख्या 197 दिनाँक 27.12.2008 में यह दर केवल ₹5500/– निर्धारित की थी ("माननीय उच्च न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता की फीस ₹5500/– प्रति केस के हिसाब से दी जाय") इस प्रकार श्री आदर्श कुमार, वशिष्ठ को निम्न विवरणानुसार राशि ₹121500/– का अधिक भुगतान कर दिया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त परिषद निधि से जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	**वाउचर संख्या**	**कुल केसों की संख्या**	**देय राशि**	**भुगतान की गई राशि**	**अधिक भुगतान की गई राशि**
1	31 माह 11/2012	5 केस	27500	50000	22500
2	31 माह 11/2012	11 केस	60500	110000	49500
3	38 माह 3/2014	11 केस	60500	110000	49500
				कुल राशि	**121500**

15.1 माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के केस की पैरवी करने हेतु भुगतान की गई राशि ₹110000/– के सन्दर्भ में:–

वउचर संख्या 38 माह 3/2014 के अन्तर्गत राशि ₹110000/– का भुगतान श्री आर्दश कुमार, वशिष्ठ अधिवक्ता को ₹10000/– प्रति केस की दर पर 11 केसों का, माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के केसों (COPC No. 4272/13 से 4283/13 तक) जो माननीय उच्च न्यायालय बनाम श्रीमती राखी कौशल (कार्यकारी अधिकारी) की पैरवी करने हेतु किया गया।

न्यायालय की अवमानना के केस की पैरवी करने हेतु किया गया भुगतान नगर परिषद प्रशासन की गम्भीर लापरवाही परिलक्षित करता है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार उचित ठहराया जाए। निदेशक, शहरी विकास से इस सन्दर्भ में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर व भुगतान की गई राशि को नियमित करवाया अन्यथा सम्बन्धित चूककर्ता से राशि

की वसूली कर परिषद निधि में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 कम्यूनिटी हॉल के निर्माण कार्य में राशि ₹1.55 लाख का अनियमित व्ययः—

वाउचर संख्याः— 15 माह 9/2013

कार्य का नामः— नगर परिषद कार्यालय भवन उपर कम्यूनिटी हॉल का निर्माण

आबन्टन पत्र सं0ः— 1036/DMC दिनांक 28.8.12

ठेकेदार का नामः— श्री टी0आर0 कपूर

माप पुस्तिका संख्याः— 11 पृष्ठ 36 से 42 तक

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0—एच (F)-(1)-10/97/XI/6682-84 दिनांक 4.4.2012 द्वारा अनुदान राशि ₹640000/— का स्वीकृत की गई थी जबकि प्रथम बिल के अन्तर्गत ही राशि ₹794615/— का भुगतान किया गया जिसमे प्राप्त अनुदान की राशि से अतिरिक्त ₹154615.00 की राशि परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 150 दिनाँक 30.7.2013 द्वारा शीर्ष Urban self employment programme (Subsidy compoment) से राशि ₹131410 तथा शीर्ष Urban wage employment programme से राशि ₹23205 व्यय करने की अनुमति प्रस्ताव संख्या 150 दिनांक 30.7.13 द्वारा प्रदान की गई। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई अनुमति नियमानुसार उचित नहीं थी। अतः अनियमित रूप से किए गए भुगतान की राशि ₹154615/— को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि ₹154615/— को परिषद निधि से अनुदान निधि में स्थान्त्रित करवाया जाए।

17 वाउचर संख्याः— 4 माह 9/2014 (विकास निधि) कुल राशि ₹134706

कार्य का नामः— ठण्डी सड़क पर होटल मैहर के नजदीक नाले का निर्माण

संविदाकार का नामः— श्रीमती सुमन त्रहन

आबंटन पत्र संख्याः— संख्या 270/DMC/dated 29.3.12

माप पुस्तिकाः— 11 पृष्ठ 24 से 27

इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः—

(I) मूल रूप में निविदायें/टैण्डर, वार्ड नं0 4 में नाले के चैनालाईजेशन कार्य हेतु आमन्त्रित किये गये थे तदानुसार तीन ठेकेदारो द्वारा अपनी दरें दी गई। न्यूनतम दरो वाले ठेकेदार श्री सुमन त्रैहन को यह कार्य पत्र संख्या 270 दिनाँक 29.3.2012 द्वारा आबंटित किया गया जिसमें उन्हें कार्य आरम्भ करने हेतु आबन्टन पत्र जारी की तारीख से 15 दिन का समय दिया गया परन्तु पूर्ण करने हेतु कोई समय निर्धारित नहीं किया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाये।

(II) कार्य आबंटित करने के एक वर्ष 2 माह पश्चात पत्र संख्या 623 दिनाँक 10.5.2013 द्वारा कार्य का स्थान बदल कर ठण्डी सड़क पर होटल मैहर के पास नाले के निर्माण कार्य में बदल दिया गया।

(क) जब ठेकेदार द्वारा एक वर्ष 3 माह तक मूल रूप में आंबटित कार्य पर काम नहीं किया गया तो उसके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई।

(ख) किन नियमों के अन्तर्गत आबंटित कार्य स्थल बदल कर 15 माह पश्चात नये स्थल पर कार्य करवा लिया गया। क्यों दोबारा से सभी औपचारिकताऐं पूर्ण कर नये सिरे से टैण्डर आमन्त्रित नहीं किये गये।

(III) जाँच में पाया गया कि इस कार्य हेतु कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई परन्तु नगर परिषद द्वारा इस व्यय को जिला योजना अधिकारी से बी0आर0जी0एफ0 अनुदान सहायता के अन्तर्गत पत्र संख्या PCH-CBA (2) BRGF/2009-10-13777/Chamba-176310 दिनांक 22.12. 2011 तथा दिनाँक 5.10.2010 द्वारा प्राप्त नगर में सिवरेज सिस्टम हेतु अनुदान राशि क्रमशः ₹350000/– व ₹461113/– मे से किया गया (W.R.P. 25 व 30) सिवरेज सिस्टम के लिये प्राप्त अनुदान राशि को नाले के निर्माण पर व्यय किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। क्योंकि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुदान राशि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य पर व्यय नहीं किया जा सकता है। अतः की गई कार्रवाई को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर किये गये व्यय को नियमित किया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर व राशि को अनुदान निधियों में जमा करवा कर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 विभागीय शुल्क की राशि ₹0.17 लाख की वसूली न करनाः–

वाउचर संख्याः– 5 माह 9/2013 (विकास कार्य)

कार्य का नामः– पुलिस स्टेशन डलहौजी की विद्युत फिटिंग की मुरम्मत करना।

ठेकेदार का नामः– मै0 रजिन्द्रा इलैक्ट्रीकल वर्क

आबन्टन पत्र संख्याः– 1399 दिनाँक 26.12.12

माप पुस्तिका संख्याः– 11 पृष्ठ 11 से 14

(1) विभागीय शुल्क ₹0.17 लाख की वसूली न किया जानाः–

इस कार्य हेतु जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पत्र संख्या 3–160 (P-11)/12–79110 दिनाँक 2.5.2012 द्वारा ₹99000/– नगर परिषद के पास जमा करवाए गए तदानुसार नगर परिषद द्वारा उपर वणित मै0 रजिन्द्रा ईलैक्ट्रीकल से कुल राशि ₹98592/– में यह कार्य पूर्ण करवाया गया। जाँच में पाया गया कि यह एक डिपॉजिट कार्य था तथा नगर परिषद द्वारा अपनी सेवाऐं देने की एवज में विभागीय शुल्क की वसूली की जानी आपेक्षित थी जैसा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित कार्य की लागत पर 17**%** की दर पर विभागीय शुल्क की वसूली की जाती है। परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई वसूली नहीं की गई। अतः विभागीय शुल्क की राशि ₹16760/– वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये अन्यथा शुल्क वसूली कर परिषद कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18.1 संविदाकार को राशि ₹1640/– का अधिक भुगतान करनाः–

बिल की जाँच मे पाया गया कि मद संख्या 17 क अन्तर्गत 82 रनिंग मीटर पाईप बिछाने के लिए ₹65 प्रति मीटर की दर से संविदाकार को राशि ₹5330/– का भुगतान किया जाना आपेक्षित था परन्तु गणना की चूक के कारण राशि ₹6970/– का भुगतान कर किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹1640/– की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

19 निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों से वसूल की गई धरोहर राशि के सन्दर्भ मेंः–

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कोई ऐसा अभिलेख तैयार नहीं किया जाता है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों द्वारा अपने टैण्डर के साथ धरोहर राशि जमा भो करवाई गई थी अथवा नहीं। क्याकि टैण्डर खेलने की यह मुख्य शर्त होती है कि उसी ठेकेदार के टैण्डर खोले जायेगें जिनके साथ धरोहर राशि संलग्न होगी। इस सन्दर्भ में चर्चा करने पर मौखिक रूप में स्पष्ट किया गया कि धरोहर राशि की रसीद केवल न्यूनतम संविदाकार/ठेकेदार की काटी जाती है तथा शेष की मौके पर वापिस कर दी जाती

है परन्तु इस सन्दर्भ में कोई प्रमाण नहीं किया गया और न ही इस प्रक्रिया से यह प्रमाणित हो पाता है कि वास्वत में प्रत्येक ठेकेदार द्वारा अपनी धरोहर राशि जमा करवाई गई थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि टैण्डर खोलते समय प्रत्येक ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि की रसीद काटकर व जमा करवा कर ही टैण्डर का खोला जाना सुनिश्चित किया जाए। न्यूनतम ठेकेदार के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले ठेकेदार की धरोहर राशि तभी वापिस की जाए जब कार्य आबंटित कर दिया गया हो जबकि अन्य ठेकेदारों की धरोहर राशि टैण्डर प्रक्रिया के पूर्ण होने पश्चात वापिस की जा सकती है। अतः नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 वाउचर संख्याः– 11 माह 9/2013 (विकास निधि)

कार्य का नामः– राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में खेल के मैदान का निर्माण

संविदाकार का नामः– श्री किशोरी लाल

आबंटन पत्र संख्याः– No. 831/DMC/Dated 22.5.13

माप पुस्तिकाः– संख्या 11 पृष्ठ 34 व 35

कार्य से सम्बन्धित बिल की जाँच करने पर पाया गया कि गणना की चूक के कारण ठेकेदार को निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹13863/– का अधिक भुगतान किया गाय। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0सं0	मद संख्या	मद का संक्षिप्त विवरण	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान की गई मात्रा
1	1	Execution in earth work	13.96 Cum	8.37 cum	5.59 cum	180	1006.20
2	3	C.C. 1:5:10	76.90 Cum	71.31 cum	5.59 cum	2300	12857.08
					कुल राशि		**13863**

21 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व दरो के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य मदों की राशि ₹0.22 लाख का निष्पादन करनाः–

वाउचर संख्याः– 18 माह 9/2013 (विकास कार्य)

कार्य का नामः– राजेन्द्र के घर से वार्ड लोहली तक सीमेन्ट कंकरीट की टाईल बिछाना।

ठेकेदार का नामः– श्री अशोक कुमार

कार्य आंबटन पत्र सं0ः– 65/DMC दिनांक 16.5.13

माप पुस्तिका सं0ः– 11 पृष्ठ 43 से 53

(1) सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस कार्य में निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को निष्पादित करवाया गया।

क्र0सं0	मद का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	R.R. Massionary	5.36m2	2911	15603
2	15 MM Cement Plaster	20.74m2	103.35	2143
3	C:C 1:2:4	25m3	4100	1025
4	स्टील वर्क	17-16 किलो	77.81	1335.21
5	फार्म वर्क	17.60m2	102.37	1801.71
			कुल राशि	**21907.92**

उपरोक्त अतिरिक्त मदों के निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी से न तो स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही दरों को अनुमोदित करवाया गया था जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार वाँछित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21.1 संविदाकार को राशि ₹595/– का अधिक भुगतान करनाः–

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित सी0सी0 1:3:6 की कार्य मात्रा 9.45 घन मी0 का भुगतान संविदाकार को ₹3500/– प्रति घन मी0 की दर से राशि ₹33075/– के लिए किया गया। कार्य मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि सी0सी0 की वास्तविक कार्य मात्रा 9.28 घन मी0 बनती थी। इस प्रकार संविदाकार को कार्य मात्रा 0.17 घन मी0 (9.45 घन मी0–9.28 घन मी0) दर ₹3500 प्रति घन मी0 से राशि ₹595/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

22 ₹2011053/– का अनियमित भुगतानः–

कार्य का नामः– M/O N.T. Mall Road, Dalhousie

संविदाकार का नामः– श्री कमल ठाकुर

आबंटन पत्र संख्याः– No. 273/DMC/Dated 29.03.12

माप पुस्तिकाः– 9

वाउचर संख्याः–01 माह 06/2012

प्रथम एवं अन्तिम बिलः– ₹2011053/–

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनको अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38 दिनांक 19.03.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समापन तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः इन आपत्तियों के शीघ्र निपटारे हेतु उचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करें।

जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी बल्कि पूर्व में आबंटित इसी प्रकार के कार्य "M/O Club Road, Dalhousie जो पत्र संख्या 154/DMC दिनांक 19.03.12 द्वारा आंबटित किया गया था, के आधार पर ही यह कार्य भी आंबटित कर दिया गया जबकि इस कार्य पर पूर्व कार्य की अपेक्षा लगभग 8.50 गुणा अधिक व्यय किया गया था। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना तथा व्यवसायिक प्रतियोगिता का लाभ उठाए बिना संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

22.1 उपरोक्त कार्य को आबंटित करने से पूर्व इस कार्य का प्राकलन (Estimate) न्याय संगत दरो का निर्धारण तथा कार्य आंबटन के पश्चात संविदाकार से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध भी नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य के आंबटन एवं निष्पादन में कई अनियमितताएं की गई थी। अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों को तैयार किए बिना कार्य का निष्पादन करके संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें।

22.2 उपरोक्त कार्य प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र/अभिलेख अंकेक्षण क दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अतः आगामी अंकेक्षण में आपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22.3 जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य की विभिन्न मदों की रिकार्ड प्रविष्टियों का पालिका अभियन्ता द्वारा Test-Check नहीं किया गया था। अतः आगामी अंकेक्षण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

23 विचलन राशि ₹5.73 लाख की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना अन्तिम बिल का भुगतान करनाः–

कार्य का नामः– M/O Club Road Dalhousie

संविदाकार का नामः– श्री कमल ठाकुर

आंबटन पत्र संख्याः– ₹238000/– vide award letter No. 154/DMC/dated 19.03.12 36.55% above HPSR 2009

अनुमानित राशिः– ₹174300

माप पुस्तिकाः– 9 पृष्ठ 63–66

वाउचर संख्याः– 10 माह 11/2012

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल की जाँच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) उपरोक्त कार्य के पूर्ण निष्पादन पर संविदाकार को ₹810692/– का भुगतान किया गया था जबकि कार्य का आंबटन ₹238000/– का किया गया था अर्थात इस कार्य में ₹572692/– का विचल पाया गया था अन्तिम बिल की राशि के भुगतान से पूर्व विचलन राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य था जोकि नहीं ली गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

23.1 जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य की न्यायसंगत दरें निर्धारित नहीं की गई थी तथा कार्य का आंबटन 36.55% above HPSR-2009 पर किया गया था जोकि उच्च दरों पर आंबटन किया गया प्रतीत होता है। अतः इस कार्य की न्यायसंगत दरों का निर्धारण करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करने के पश्चात यदि आंबटित दरें न्यायसंगत दरो से अधिक पाई जाती है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

23.2 जाँच मे पाया कि उपरोक्त कार्य की विभिन्न मदों की रिकार्ड प्रविष्टियों का Test-Check म्युनिसिपल अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया था।

(घ) इसके अतिरिक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः कार्य मदों को नियमानुसार Test Check तथा संशोधित प्रशासनिक एक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

24 संविदाकार को ₹317/– का अधिक भुगतानः–

Name of wok: C/O P.C.C. retaining wall to the path near house of Sh. Parmod Mahajan

Name of Contractor: Sh. T.R. Kapoor

Estimate: `53419

Awarded Amount: `66715/- vide letter No. 1038/M.C. Dalhousie Dt. 28.08.12

Voucher No. Vr. No. 3 of 11/2012

Measurement Book: M.B. No. 8 Page 85-86

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल की जांच में पाया कि मद संख्या 4 "Stone filling behind retaining & breasts walls" की कुल मात्रा 9.72m3 का भुगतान ₹880/– प्रति m3 की दर से ₹8554/– किया गया था जबकि माप पुस्तिका 8 के पृष्ठ 85 के अनुसार 1x1x8x0.30+0.45+0.60/3x2.5+2.7/2=9.36m3 का ₹880/– प्रति घन मीटर की दर से ₹8237/– का भुगतान किया जाना आपेक्षित था। अतः इस प्रकार ₹317/– (₹8554–8237) का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

25 ₹326064/– का फर्नीचर क्रय पर अनावश्यक व्ययः–

वाउचर संख्या 06 माह 06/2012 की जांच में पाया कि ₹326064/– का निम्नलिखित फर्नीचर अन्य सामग्री का क्रय नगर परिषद के विश्राम गृह हेतु किया गया थाः–

Bill No. 135, dated 12.06.12

M/S wood Art furniture Gallery, Pathankot

1	Double Bed	3 Nos @ ₹28500 each	85500
2	Dinning Set 4 seated	1 Nos@ ₹18300 each	18300
3	Easy Chair	6 Nos@ ₹5500 each	33000
4	Sofa Set 5 seated	1 Nos@ ₹26000each	26000
5	Centre Table Glass Top	1 Nos@ ₹6900 each	6900
6	Almirah Wooden	3 Nos@ ₹18000 each	54000
7	Centre Table	3 Nos@ ₹5200 each	15600
8	Matlress	10 Nos@ ₹3200 each	32000
9	Blanket Single Bed	10 Nos@ ₹950 each	9500
10	Bed Sheet Single	10 Nos@ ₹200 each	2000
11	Pillow	10 Nos@ ₹265 each	2650
12	Pillow Cover	10 Nos@ ₹120 each	1200
		Total	**286650**
		Add Vat @ 13.75%	**39414**
			326064

उपराक्त क्रय में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

नगर परिषद डलहौजी में दो विश्राम गृह है एक गाँधी चौंक एवं दूसरा सुभाष चौक में स्थित है। जाँच में पाया कि गाँधी चौंक में स्थित विश्राम गृह कार्यालय आदेश संख्या

1437–1441 दिनांक 27.12.08 द्वारा बन्द कर दिया गया था सुभाष चौक में स्थित विश्राम गृह नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 265 दिनांक 21.05.10 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवास के लिए आबंटित कर दिया गया था। इस प्रकार नगर परिषद डलहौजी का कोई भी विश्राम गृह परिचालन में नहीं था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त सामग्री का क्रय किसी अन्य उद्देश्य से करके उसका दुरूपयोग किया गया। अतः फर्नीचर एवं अन्य सामग्री को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

25.1 जाँच में पाया कि उपरोक्त क्रय के एवज में किए गए भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त नहीं की गई थी जिसक अभाव में भगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अब अपेक्षित वास्तविक रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

26 वाहनः–Alto K-10, HP-47-3812 की औसत तेल खपत का निर्धारण/गणना न करनाः–

उपरोक्त वाहन की लॉग बुक की जाँच के दौरान पाया कि माह के अन्त में गाडो की औसत खपत की गणना नहीं की गई थी। अतः गाड़ी की औसत खपत की गणना न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनसार प्रत्येक माह के अन्त में गाड़ी की औसत की गणना करने के उपरान्त नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त जाँच मे पाया कि लगभग प्रत्येक दिन 25–30 कि0मी0 की लोकल यात्रा वाहन की लॉग बुक में दर्शाई गई थी लेकिन यात्रा का उद्देश्य एवं स्थान नहीं लिखा गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं भविष्य में प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य एवं स्थान लॉग बुक में दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

26.1 डम्पर प्लेसर के क्रय के रूप में ₹5.82 लाख का निष्फल व्ययः– (HP 47-2212)

अंकेक्षण के दौरान पाया कि अगस्त 1998 में नगर की साफ सफाई एवं कूडा करकट उठाने हेतु ₹581574/– की राशि खर्च करके डम्पर प्लेसर का क्रय किया गया था। इस वाहन की लॉग बक की जाँच में पाया कि उक्त वाहन मई 2010 से खराब दर्शाया गया था 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी न तो इसकी मुरम्मत करवाई गई और न ही Condemnation हेतु कोई प्रक्रिया अमल में लाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा नियमों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

26.2 वाउचर संख्या 44 माह 11/2012 के अन्तर्गत राशि ₹30030/– का भुगतान, मै0 यूनीवर्सल टायर्ज (रजि0) गुरदासपुर रोड पठानकोट को परिषद वाहन संख्या एच0पी0–47–3522 के 7

टायरों पर ठण्डी रबड़ चड़ाने हेतु बिल संख्या 70 दिनांक 6.10.2012 द्वारा किया गया। इस कार्य हेतु पत्र संख्या 1182 दिनाँक 27.9.2012 द्वारा आदेश दिए गये। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इन टायरों की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई। दिनांक 27.9.12 से 6.10.12 के दौरान कभी पठानकोट नहीं गई, बल्कि प्रतिदिन कार्य करती रही, गाड़ी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अतिरिक्त टायर उपलब्ध नहीं थ, जिन्हें भेज कर व रबड़ चड़वा कर मंगवाया गया होता और न कोई ऐसा प्रमाण लॉग बुक का स्टॉक से पता लगता है। उक्त परिस्थिति में किया गया भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता। अतः मामले की विभागीय स्त्तर पर अपेक्षित जाँच के उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 पैन्शनः–

(i) वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद डलहौजी के पैन्शन फण्ड की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ढ"** में दिया गया हैः–

Financial Year	Opening Balance	Pension Share	Transfer from M. fund	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2012-13	8763.38	1802496	1603700	509	3415468.38	3406207	9261.38
2013-14	9261.38	1802496	1020511	452	2832720.38	2823007	9713.38
		Balance as per cash book as on 31.03.14					9713.38
		Balance as per Pass book as on 31.03.14					9713.38
		Bank A/C No. 11321777797					
		SBI Dalhousie					
		Difference					शून्य

28 सामान्य भविष्य निधिः–

वित्तीय स्थितिः–

अंकेक्षण अवधि 2010–11 एवं 2011–12 के पैरा संख्या 17 (2) की अनुपालना करते हुए वर्ष 2013–14 से सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही तैयार की गई थी जिसकी वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(परिशिष्ट "ण")

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	जमा राशि	ब्याज	कुल	आहरित राशि	अन्तिम शेष
2013–14	4895555.20	1509276	288868	6693699.20	1540164	5153535.20
		दिनांक 31.03.14 को रोकड़ बही में शेष				₹5153535.20
		दिनांक 31.03.14 को पास बुक में शेष				₹5153535.20
		बैंक खाता संख्या 11321778134				
		भारतीय स्टेट बैंक डलहौजी				
					अन्तर	**शून्य**

28.1 सावधि जमा में निवेशित न करने बारेः–

दिनांक 31.03.14 को समान्य भविष्य निधि खातों की रोकड़ बही में राशि ₹5153535/– शेष थी जोकि बचत खाते में ही रखी गई थी। अतः इतनी अधिक राशि को बचत खाते में रखने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में आवश्यकता से अधिक राशि को सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित करें ताकि निधि खातों पर देय ब्याज की राशि के दायित्व का भुगतान हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28.2 अग्रिम राशि ₹0.45 लाख की वसूली न करनाः–

श्रीमती राखी कौशल को बेटे के मुण्डन संस्कार का खर्चा वहन करने हेतु भविष्य निधि खाते में वाउचर संख्या माह 11/2012 द्वारा राशि ₹45000 का भुगतान किया गया जिसकी वसूली वेतन माह 11/2012 से ₹2250/– की दर से 20 किश्तों में की जानी थी। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्रीमती राखी कौशल के वेतन से इस अग्रधन राशि की वसूली नहीं की गई जिसका कारण स्पष्ट किया जाए। अन्यथा राशि की नियमानुसार एकमुश्त वसूली कर खाते में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

29 अंशदायी भविष्य निधिः–

अंशदायी भविष्य निधि खाते की रोकड़ बही तैयार न करनाः–

जाँच में पाया कि अंशदायी भविष्य निधि खाते की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई थी जिस कारण से इसकी सही वित्तीय स्थिति की गणना नहीं की जा सकी। जाँच में पाया कि अंशदायी भविष्य निधि खाते के प्रत्येक कर्मचारी के अलग–2 बचत खाते खोले गये थे जोकि नियमों के अनुसार सही नहीं थे। अतः अंशदायी भविष्य निधि खाते की समस्त राशि एक बचत खाते में जमा करके रोकड़ बही तैयार करना सुनिश्चित करते हुए खातों का नियमित सत्यापन भी करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 अन्यः–

(i) वाउचर संख्या 46 माह 11/2012 के अन्तर्गत सिविल सप्लाई कारर्पोरेशन से 1500 राशन कार्ड की खरीद करने पर ₹2.50 पै0 प्रति एक की दर से भुगतान करने पर राशि ₹3750/– का भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 4.1.2013 को 552 राशन

कार्ड वापिस सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के पास जमा करवाए गये परन्तु इन राशन काडों की राशि ₹1380/– की वसूली नहीं की गई जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व राशि वसूल कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ii) निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण औपचारिकताएं पूरी न करने बारेः–

जाँच में पाया कि निर्माण कार्यों के आबंटन एवं निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण औपचारिकताएं तथा अभिलेखों को तैयार नहीं किया गया था। अतः भविष्य में निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करना व अभिलेखों को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

1 कार्य आबंटन पर समझौता पत्र तैयार करना

2 आबंटन पत्र में कुल आबंटित राशि एवं आबंटन राशि का प्रीमियम

3 कार्य समापन करने की निर्धारित तिथि

4 विभाग द्वारा जारी सामग्री का विवरण एवं इसका निर्गमन मूल्य

5 धरोहर राशि का रजिस्टर

6 ठेकेदार का बही खाता (Contractor Ledger)

7 निर्माण कार्य की विभिन्न मदों की न्यायसंगत दरें

(iii) भण्डार वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारेः–

जाँच में पाया कि भण्डार रजिस्टरो में दर्ज विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई प्रवृति की वस्तुओं का नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिससे वस्तुओं के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक वर्ष नियमों के अनुसार सामग्री का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(iv) वर्ष 2012–13 में हिमाचल प्रदेश वन निगम को 1035 पेड़ों की आपूर्ति के एवज में राशि प्राप्त न करनाः–

वर्ष 2012–13 में 3 भागों (Lots) में कुल 1035 पेड़ों (देवदार) क्रमशः Lot No. I 183 पेड़, Lot No. 2=440 पड़, Lot No. 3=412 पेड़ की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश वन निगम को की गई थी लेकिन इसके एवज में कोई भी राशि नगर परिषद द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस आपूर्ति का कुल मूल्य के साथ–2 वन निगम के पास पिछली अवधि में की

गई आपूर्ति की बकाया राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं समस्त राशि को शीघ्र प्राप्त करने हेतु ठोस कदम उठाए जाना सुनिश्चित करें।

31 लघु आपत्ति विवरणोः— यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु छोटी—2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही मौके पर निपटारा कर दिया गया।

32 निष्कर्षः—लेखों के रख—रखाव में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः V (15)/2012 फिन(एल0ए0डी0) खण्ड —3—5603—5604 दिनांक 22.09.2015, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल पदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "क" पैरा 2 से सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62

1	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/65 से 3/66

1	पैरा–12	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/75 से 3/80

1	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–19 (14)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/87

1	पैरा–9 (V)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (VI)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (XXV)	अनिर्णीत
4	पैरा–13	अनिर्णीत
5	पैरा–14 (C)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा–3 C (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (A)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (VI)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/92

1	पैरा–8 (ख)	आंशिक निर्णीत
2	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/2002

1	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (11)	अनिर्णीत
6	परा–9 (15)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (1) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (1) (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (2) (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (2) (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (2) (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (3) (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
18	पैरा–14	अनिर्णीत

19	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा–2 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (iv)	अनिर्णीत
4	परा–3	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (v)(i)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (v)(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (xi)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (xiv)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (III)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (xii)	अनिर्णीत
17	पैरा–5 (xiii)	अनिर्णीत
18	पैरा–5 (xiv)	अनिर्णीत
19	पैरा–5 (xv)	अनिर्णीत
20	पैरा–5 (xvi)	अनिर्णीत
21	पैरा–5 (xix)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
23	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
24	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत
25	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत

26	पैरा–6 (xi)	अनिर्णीत
27	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
28	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत
31	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
32	पैरा–8 (iii) (क)	अनिर्णीत
33	पैरा–8 (iii) (ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10

1	पैरा–2.3	अनिर्णीत	
2	पैरा–4.3	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व नगर परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 214 दिनाँक 29.5.2009 व प्रस्ताव संख्या 231 दिनाँक 7.8.2009 के अनुसार)
3	पैरा–4.4	अनिर्णीत	
4	पैरा–4.5	निर्णीत	(नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 41 दिनाँक 30.5.1996 व दिये गये उत्तर अनुसार)
5	पैरा–4.6	अनिर्णीत	
6	पैरा–4.7	अनिर्णीत	
7	पैरा–4.8	अनिर्णीत	
8	पैरा–4.9	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार क्योंकि दिनाँक 6.6.2004 से सिनेमा हाल पूर्ण रूप से बन्द पड़ा है)
9	पैरा–4.10	अनिर्णीत	
10	पैरा–4.12	अनिर्णीत	
11	पैरा–4.13	अनिर्णीत	
12	पैरा–4.14	अनिर्णीत	
13	पैरा–4.15	अनिर्णीत	
14	पैरा–4.16	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा 2007–08 से 2013–14 तक डॉग टैक्स की माँग व वसूली की जाँच व दिये गये उत्तर उपरान्त)

15	पैरा–4.17	अनिर्णीत
16	पैरा–4.18	अनिर्णीत
17	पैरा–4.20	अनिर्णीत
18	पैरा–5	अनिर्णीत
1′9	पैरा–5.1	अनिर्णीत
20	पैरा–5.2	अनिर्णीत
21	पैरा–5.4	अनिर्णीत
22	पैरा–6	अनिर्णीत
23	पैरा–6.2	अनिर्णीत
24	पैरा–6.3	अनिर्णीत
25	पैरा–6.4	अनिर्णीत
26	पैरा–6.5	अनिर्णीत
24	पैरा–6.6	अनिर्णीत
28	पैरा–6.9	आंशिक निर्णीत
29	पैरा–6.10	अनिर्णीत
30	पैरा–6.12	अनिर्णीत
31	पैरा–6.13	अनिर्णीत
32	पैरा–6.14	अनिर्णीत
33	पैरा–6.15	अनिर्णीत
34	पैरा–6.16	अनिर्णीत
35	पैरा–6.17	अनिर्णीत
36	पैरा–6.18	अनिर्णीत
37	पैरा–6.19	अनिर्णीत
38	पैरा–6.20	अनिर्णीत
39	पैरा–6.21	अनिर्णीत
40	पैरा–6.22	अनिर्णीत
41	पैरा–6.23	अनिर्णीत
42	पैरा–6.24	अनिर्णीत

43	पैरा–6.27	अनिर्णीत	
44	पैरा–6.29	अनिर्णीत	
45	पैरा–6.30	अनिर्णीत	
46	पैरा–7	अनिर्णीत	
47	पैरा–7.1 से 7.9 तक	अनिर्णीत	
48	पैरा–8	अनिर्णीत	
49	पैरा–8.1 से 8.4 तक	अनिर्णीत	
50	पैरा–9	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क राशि ₹29400/– बैंक ड्राफ्ट संख्या 632430 दिनाँक 23.3.2013 द्वराा जमा करवा दिया गया)
2	परा–4 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रासपित किया गया)
3	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(पैरे में वर्णित चैकों का दिनाँक 2.4.2014 को विकास निधि की रोकड़ पृष्ठ 234 पर ईन्द्राज लेने उपरान्त)
4	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(दिनाँक 3.10.2013 को रोकड़ में ईन्द्राज लेने उपरान्त)
5	पैरा–5	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
6	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
7	पैरा–7	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
8	पैरा–8 (1) (i)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
9	पैरा–8 (1) (ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–8 (1) (iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–8 (1) (iv)	अनिर्णीत	
12	पैरा–8 (2) (I)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
13	पैरा–8 (2) (II)	अनिर्णीत	
14	पैरा–8 (3) (I)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
15	पैरा–8 (3) (II)	अनिर्णीत	
16	पैरा–8 (4) (I)	अनिर्णीत	

17	पैरा–8 (4) (II)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)
18	पैरा–8 (4) (III)	अनिर्णीत	
19	पैरा–8 (4) (IV)	अनिर्णीत	
20	पैरा–8 (5) (I)	निर्णीत	(जी–8 संख्या 38/14, 27/27 व 2/40 के अन्तर्गत की गई वसूली उपरान्त)
21	पैरा–8 (5) (II)	अनिर्णीत	
22	पैरा–8 (6)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
23	पैरा–8 (7)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर उपरान्त)
24	पैरा–8 (8)	अनिर्णीत	
25	पैरा–9 (I)	अनिर्णीत	
26	पैरा–9 (II)	अनिर्णीत	
27	पैरा–10 (I)	अनिर्णीत	
28	पैरा–10 (II)	अनिर्णीत	
29	पैरा–11	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व टोल टैक्स की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख/पत्र अनुसार)
30	पैरा–12	अनिर्णीत	
31	पैरा–13	निर्णीत	(रसीद संख्या 100/47 दिनाँक 29.6.2013 के अन्तर्गत प्राप्त राशि ₹243217 उपरान्त)
32	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत	
33	पैरा–14 (2)	निर्णीत	(सम्बन्धित अनुबन्ध व अभिलेख की जाँच उपरान्त)
34	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत	
35	पैरा–14 (4)	निर्णीत	(एम0ए0एस0 के पृष्ठ 33 पर ईन्द्राज उपरान्त)
36	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत	
37	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत	
38	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत	
39	पैरा–14 (8)	निर्णीत	(रसीदों के सत्यापन उपरान्त)
40	पैरा–14 (9)	अनिर्णीत	
41	पैरा–14 (10)	अनिर्णीत	
42	पैरा–14 (11) (I)	निर्णीत	(सम्बन्धित प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरान्त)

43	पैरा–14 (11) (II)	अनिर्णीत	
44	पैरा–14 (12) (1)	अनिर्णीत	
45	पैरा–14 (12) (2)	अनिर्णीत	
46	पैरा–14 (12) (3)	अनिर्णीत	
47	पैरा–14 (12) (4)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
48	पैरा–14 (12) (5)	निर्णीत	(₹25000/– की रसीद संख्या 86/36 दिनाँक 6.3.13 के अन्तर्गत वसूली उपरान्त)
49	पैरा–14 (13) (1)	अनिर्णीत	
50	पैरा–14 (13) (2)	निर्णीत	(प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त)
51	पैरा–14 (13) (3)	अनिर्णीत	
52	पैरा–14 (13) (4)	निर्णीत	(दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार)
53	पैरा–14 (13) (5)	अनिर्णीत	
54	पैरा–14 (13) (6)	निर्णीत	(दिनाँक 25.3.2013 कैश बुक पृष्ठ 197 माप पुस्तिका संख्या 10 पृष्ठ 28 पर की गई वसूली उपरान्त)
55	पैरा–15 (1)	निर्णीत	(राशि ₹115188/– की प्रतिपूर्ति वाउचर संख्या 25 माह 6/2013 व ₹48000/– वाउचर संख्या 25 माह 3/2013 में वसूल किये जाने उपरान्त)
56	पैरा–15 (2)	अशतः निर्णीत	(तीन कर्मचारियों से मई 2013 से मार्च 2015 तक वेतन से ₹1000/– प्रतिमाह की दर से कुल ₹69000/– की वसूली कर ली गई थी एवं शेष राशि ₹56856/– वसूली हेतु बकाया है।)
57	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत	
58	पैरा–15 (4)	निर्णीत	(₹38645/– की वसूली वाउचर संख्या 8 माह 09/2013 में किए जाने के उपरान्त पुष्टि करके पैरे का निपटारा कर दिया गया)
59	पैरा–15 (5)	निर्णीत	(सम्बन्धित सेवा पंजिका की जाँच उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
60	पैरा–16 (1)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)

61	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत	
62	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत	
63	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	
64	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत	
65	पैरा–18 (2)	निर्णीत	(सम्बन्धित सामग्री की भण्डार प्रविष्टियाँ T&P रजिस्टर के पृष्ठ 89 एवं 96 में कर दी गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया।)
66	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत	
67	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत	
68	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत	
69	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत	

Minor objection statement

(क) अवधि 7/58 से 3/59

1	पैरा–8 (A)	अनिर्णीत
2	पैरा–34	अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/62 से 3/64

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–21	अनिर्णीत
5	पैरा–22	अनिर्णीत
6	पैरा–31	अनिर्णीत
7	पैरा–37	अनिर्णीत